दिनांक 03.07.2021
प्रेस विज्ञप्ति 03/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मऊ/थाना रानीपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने/चॉदी के आभूषण**
- **05 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 05 खोखा कारतूस**
- **लूट के 02 मोटर साइकिल**
- **लूट के 04 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 03.07..2021 को थाना रानीपुर/सरायलखंसी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मिर्जापुर तिराहे के पास पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्तों 1–पंकज कुमार 2–राकेश कुमार 3–लालू कुमार 4–राणा 5–साहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने/चॉदी के आभूषण, 05 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 05 खोखा कारतूस, लूट के 02 मोटर साइकिल, लूट के 04 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना रानीपुर व थाना सरायलखंसी क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत अनावरण के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सोने/चॉदी के आभूषण, मोटर साइकिल आदि लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रानीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–पंकज कुमार निवासी लहुरापुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर।

2–राकेश कुमार निवासी दुर्जनपुर मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

3—लालू कुमार निवासी दुर्जनपुर मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

4—राणा निवासी जियापुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

5—साहुल कुमार_निवासी दुर्जनपुर मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के सोने/चॉदी के आभूषण।

2—05 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 05 खोखा कारतूस।

3— लूट के 02 मोटर साइकिल।

4— लूट के 04 मोबाइल फोन आदि।

<u>जनपद अयोध्या/थाना कुमारगंज</u>

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.07.2021 को थाना कुमारगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इटौजा मोड़ पिठला से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मैफूज को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कुमारगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 92/2021 धारा सीएस एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कुमारगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मैफूज निवासी देवगॉव थाना कुमारगंज, जनपद अयोध्या।

<u>जनपद सम्भल/थाना नखासा</u>

- **10—10 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.07.2021 को थाना नखासा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पक्का बाग चौराहे के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—उमर 2—इमरान को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त उमर के विरूद्ध जनपद सम्भल के थाना नखासा पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना नखासा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 263/2021 धारा 379/411 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10—10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नखासा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—उमर निवासी रूकनुद्दीन सराय थाना नखासा जनपद सम्भल।

2—इमरान निवासी रूकनुद्दीन सराय थाना नखासा जनपद सम्भल।

<u>पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 अवैध पिस्टल, 23 मैगजीन, 30 जीवित कारतूस, 50 खोखा कारतूस,**
- **भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 03.07..2021 को थाना बिसरख व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शाहबेरी बिसरख क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1—आफताब 2—शकील 3—सगीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 10 अवैध पिस्टल, 23 मैगजीन, 30 जीवित कारतूस, 50 खोखा कारतूस सहित अवैध शस्त्र फैक्ट्री स्थापित करने हेतु भारी मात्रा में उपकरण एवं पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बिसरख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—आफताब निवासी कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद।

2—शकील निवासी कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद।

3—सगीर निवासी कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1—10 अवैध पिस्टल।

2—23 मैगजीन।

3— 30जीवित कारतूस, 50 खोखा कारतूस।

4— भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे।

<u>जनपद अयोध्या/थाना पटरंगा</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 15 मोटर साइकिल**
- **03 फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र**
- **01 कम्प्यूटर सी0पी0यू0 आदि बरामद**

दिनांक 03.07.2021 को थाना पटरंगा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1—दिनेश 2—राजेश कुमार 3—शिवा 4—दीपक उर्फ दुर्गेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से

चोरी की 15 मोटर साइकिल, 03 फर्जी रजिस्टेशन प्रमाण पत्र, 01 कम्प्यूटर सी0पी0यू0, 01 मानीटर, 01 कलर प्रिन्टर व स्केनर, 01 यू0पी0एस0, 01 की—बोर्ड बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जो नकली पंजीकरण प्रमाण पत्र तैयार कर चोरी के वाहनो को बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना पटरंगा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—दिनेश निवासी बाहपुर मजरे भवानीपुर थाना मवई जनपद अयोध्या।

2—राजेश कुमार निवासी शहबाजपुर थाना रूदौली जनपद अयोध्या।

3—शिवा निवासी शिवपुरी तेली टोला रिकाबगंज थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।

4—दीपक उर्फ दुर्गेश कुमार निवासी हौसिलानगर, सिविल लाइन्स, कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 15 मोटर साइकिल।

2—03 फर्जी रजिस्टेशन प्रमाण पत्र।

3— 01 कम्प्यूटर सी0पी0यू0।

4—01 मानीटर।

5— 01 कलर प्रिन्टर व स्केनर।

6— 01 यू0पी0एस0, 01 की—बोर्ड।

जनपद सहारनपुर/थाना मण्डी

- **पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय) कीमत के 510 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 अवैध तमंचा/कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 03.07.2021 को थाना मण्डी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाबा लालदास रोड कब्रिस्तान के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नौशाद उर्फ गुड्डू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय) कीमत के 510 ग्राम अवैध स्मैक, 01 अवैध तमंचा मय कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नौशाद उर्फ गुड्डू निवासी सिरचंडी थाना भगवानपुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1–लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय) कीमत के 510 ग्राम अवैध स्मैक।

2– 01 अवैध तमंचा मय कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद हापुड़/थाना सिम्भावली

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 21 लाख रूपये कीमत की 210 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 03.07.2021 को थाना सिम्भावली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मादक पदार्थ तस्कर सावेज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 21 लाख रूपये कीमत की 210 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सावेज निवासी मोहल्ला श्यामनगर थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–लगभग 21 लाख रूपये कीमत की 210 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा।

2–01 चार पहिया वाहन।

जनपद गोरखपुर /थाना पिपराईच

- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **टप्पेबाजी/लूट के 50 हजार 800 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **23 एटीएम कार्ड, 01 ग्रीन कार्ड**
- **01 आई टेन कार बरामद**

दिनांक 03.07..2021 को थाना पिपराईच व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हरखापुर पुलिया के पास से पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्तों

1—नीरज 2—सत्येन्द्र 3—दीनानाथ 4—मुरारी 5—रूपक कुमार 6—रौशन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से टप्पेबाजी/लूट के 50 हजार 800 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 23 एटीएम कार्ड, 01 ग्रीन कार्ड व घटना में प्रयुक्त 01 आई टेन कार बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा जनपद गोरखपुर व आस—पास के जनपदो में टप्पेबाजी/लूट आदि की घटना कारित की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद नगद रूपये टप्पेबाजी/लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पिपराईच पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नीरज निवासी चॉदपुर थाना केसरिया जनपद मोतिहारी, बिहार।

2—सत्येन्द्र निवासी चॉदपुर थाना केसरिया जनपद मोतिहारी, बिहार।

3—दीनानाथ निवासी चॉदपुर थाना केसरिया जनपद मोतिहारी, बिहार।

4—मुरारी निवासी चॉदपुर थाना केसरिया जनपद मोतिहारी, बिहार।

5—रूपक कुमार निवासी चॉदपुर थाना केसरिया जनपद मोतिहारी, बिहार।

6—रौशन कुमार निवासी रूलही मझार थाना मुफस्सिल जनपद मोतिहारी, बिहार।

बरामदगी

1—टप्पेबाजी/लूट के 50 हजार 800 रूपये नगद।

2— 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

3— 23 एटीएम कार्ड, 01 ग्रीन कार्ड।

4— घटना में प्रयुक्त 01 आई टेन कार

एसटीएफः OLX पर लग्जरी गाड़ी बेचने का झांसा देकर लूट करने वाले गिरोह का सरगना एवं रू0 25,000/- का ईनामी राजेश तिवारी गिरफ्तार

दिनाक–02.07.2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को **OLX** पर लग्जरी गाड़ी को काफी कम दामो मे बेचने का झांसा देकर लूट करने वाले गिरोह का सरगना एवं रू0 25,000/– का ईनामी अपराधी राजेश तिवारी को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1– राजेश तिवारी पुत्र राम आसरे तिवारी नि0 पंथीपुर, थाना जलालपुर, अम्बेडकरनगर।

बरामदगी :–

1– वोटर आई0डी0 कार्ड

2– एक अदद मोबाइल फोन

3– एक अदद आधार कार्ड

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक–02.07.2021, समय–15:30 बजे, कस्बा–रजवाहा, थाना–कोसीकलां, जनपद मथुरा।

विगत काफी समय से **OLX** के माध्यम से लग्जरी कार बेचने का झांसा देकर ठगी एवं लूट करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री अमित कुमार नागर, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मु0आ0 अंजनी यादव को ज्ञात हुआ कि राजेश तिवारी पुत्र राम आसरे तिवारी नि0 पंथीपुर थाना जलालपुर, अम्बेडकरनगर के द्वारा गैंग बनाकर लोगो को **OLX** के माध्यम से लग्जरी कार बेचने का झांसा दिया जाता है तथा उनसे ऑनलाइन पैसा अपने फर्जी खातों मे देने के लिए कहा जाता है और जो लोग खातों मे पैसा ट्रान्सफर करने से पहले गाड़ी को देखने की बात कहते है तो उन्हे गाड़ी दिखाने के बहाने बुलाकर एकान्त रास्ते पर ले जाकर लूट लेते है। इसी सम्बन्ध मे ज्ञात हुआ कि उक्त राजेश तिवारी पर जनपद मथुरा से **रू0 25,000/–**

का ईनाम पूर्व से ही घोषित है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि उपरोक्त अपराधी मथुरा के देहात क्षेत्र मे सक्रिय है, प्रयास करने पर इसे पकडा जा सकता है। इस पर उ0नि0 विनोद सिंह के नेतृत्व मे एक टीम जनपद मथुरा मे सूचना संकलन मे मामूर थी। दिनांक 02.07.2021 को मुखबिर ने बताया कि राजेश तिवारी कस्बा रजवाहा मे आने वाला है, जिस पर एस0टी0एफ0 की उक्ट टीम द्वारा स्थानीय पुलिस का सहयोग प्राप्त कर कस्बा रजवाहा से समय 1530 बजे राजेश तिवारी को गिरफ्तार किया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह विगत 10–12 वर्षो से धोखाधडी कर पैसे कमा रहा हूॅ, इसी क्रम मे वर्ष 2017 मे जनपद मथुरा से लगे हरियाणा एवं राजस्थान सीमा के मेवात क्षेत्र मे **OLX** के माध्यम से लूटपाट करने वाले अपराधियों के सम्पर्क मे आया, जहॉ पर मेरे द्वारा प्रारम्भ मे इन लोगो से झांसा देने के तरीको को सीखा गया और जल्द ही अपने पढ़े लिखे अंदाज मे बोलने के कारण मै इन लोगो से आगे निकल गया तथा खुद ही 08–09 व्यक्तियों का एक गैंग बना लिया। हम लोग आसानी से प्रत्येक माह मे 12 से 14 लोगो को अपने झांसे मे फंसाकर 20–25 लाख रूपये की धोखाधडी एवं लूट को अंजाम देते रहे है। इस प्रकार हमने विगत 04–05 वर्षो मे करोडो रूपये इस अपराध से कमाये है। हमारे द्वारा वर्ष 2019 मे जॉनसन पुत्र विलसन बाबू हैदराबाद, तेलंगाना को **OLX** के माध्यम से इनोवा कार बेचने के बहाने से जनपद मथुरा बुलाया था तथा धोखे से उसे आई–20 कार मे बैठाकर एकान्त स्थान पर ले जाकर हथियारों के बल पर रू0 4,90,000/– (चार लाख नब्बे हजार रूपये मात्र) लूट लिये थे, इसी अपराध पर मेरे ऊपर ईनाम घोषित हो गया था।

गिरफतार अभियुक्त राजेश तिवारी उपरोक्त का निम्न अपराधिक इतिहास ज्ञात हुआ है:–

क्रं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	11ए/1989	147/323 भादवि	जलालपुर	अम्बेडकरनगर
2	254ए/1990	147/336/427/504/323 भादवि	जलालपुर	अम्बेडकरनगर
3	60/1995	498ए भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट	जलालपुर	अम्बेडकरनगर

4	22 / 2009	420 / 154 भादवि	संजय सर्किल जयपुर	जयपुर (राजस्थान)
5	1784 / 2011	420 भादवि	मऊ आइमा	प्रयागराज
6	1716 / 2011	25 आर्म्स एक्ट	मऊ आइमा	प्रयागराज
7	64 / 2019	394 भादवि	कोसीकला	मथुरा
8	107 / 2019	392 / 420 भादवि	कोसीकला	मथुरा

गिरफ्तार अभियुक्त राजेश तिवारी को थाना कोसीकलां, जनपद मथुरा मे दाखिल कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————